न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

विभागीय अपील कमांक/वि.अ./238/2025/

निर्णय अपील

उपस्थितः— श्री रवि बंसल, अधिशाषी अभियंता ।

दिनांकः— 11-11-2025

यह अपील राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत विभागीय अपील द्वारा अपीलांट श्री रवि बंसल, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, किशनगढ, जिला अजमेर विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर अजमेर के आदेश कमांक संस्था/एफ (सीसीए)(17)25/262 दिनांक 06.06.2025 जिसमें अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अंतर्गत आरोपित आरोप प्रमाणित होने के परिणामस्वरूप एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन कमांक संस्था/एफ (सीसीए)(17)25/963 दिनांक 11.02.2025 जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी पर निम्न आरोप लगाये गयेः—

आरोप संख्या 1

आप द्वारा अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग किशनगढ़ के पद पर कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 08.02.2025 को ग्राम पंचायत पाटन पंचायत समिति सिलोरा (किशनगढ) में अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित रात्रि चौपाल में उपस्थिति नहीं दी गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक पीजीवी/रासं/दौनिरावि/25/998—1037 दिनांक 07.02.2024 के द्वारा आपको रात्रि चौपाल में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी आप द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गई। आपका उक्त कृत्य राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) 1971 के नियम 4(5) का स्पष्ट उल्लंघन है। दिनांक 21.12.2024 को पंचायत

संभागीय आयुक्त
अजमेर

समिति अराई, मुख्यालय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित रात्रि चौपाल में भी आप अनुपस्थित रहे, जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि आप द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही एवं दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं किया जा रहा है।

रात्रि चौपाल में आपके विभाग से संबंधित आमजन से प्राप्त शिकायतों/समस्याओं पर विचार विमर्श/समाधान नहीं हो पाया। साथ ही रात्रि चौपाल के जरिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की जन कल्याणकारी, सरकारी परियोजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं दी जा सकी। आप द्वारा अपने विभागीय/पदीय दायित्वों का गंभीरता पूर्वक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वहन नहीं करने से आमजन को अवांछित बाधा उत्पन्न हुई है। आपका उक्त कृत्य राज्य कार्य के प्रति आपकी लापरवाही उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता के साथ–साथ अनुत्तरदाई कार्य प्रणाली का परिचायक है।

अपीलार्थी/आरोपित को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा **लिखित अभिकथन** प्रस्तुत कर आरोप को अस्वीकार किया गया। जिला कलक्टर अजमेर द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर अजमेर के दण्डादेश दिनांक 06.06.2025 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर दण्डादेश को चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कर्मचारी श्री रवि बंसल, अधिशाषी अभियंता को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई।

अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि दिनांक 08.02.2025 को ग्राम पंचायत पाटन पंचायत समिति सिलोरा में आयोजित रात्रि चौपाल में उपस्थित नहीं होने का जो आरोप लगाया है वह निराधार है। अपीलार्थी ने अवगत कराया की दिनांक 08.02.2025 को आयोजित रात्रि चौपाल की सूचना किसी भी पत्र के माध्यम से उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी। उक्त सूचना के अभाव में अपीलार्थी द्वारा उक्त रात्रि चौपाल में उपस्थिति नहीं दी जा सकी। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने यह भी अवगत कराया कि दिनांक 08.02.2025 से 09.02.2025 तक वे सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत करवा कर मुख्यालय से बाहर गये थे। अपीलार्थी ने अवगत कराया की इसी प्रकार दिनांक

न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर

संभागीय आयुक्त
अजमेर

21.12.2024 को पंचायत समिति अराई में आयोजित रात्रि चौपाल में अनुपस्थित रहने का जो आरोप लगाया है वह निराधार है। इस क्रम में अवगत कराया कि अपीलार्थी दिनांक 21.12.2024 को उपार्जित अवकाश पर थे जिसकी स्वीकृति, कार्यालय आदेश कमांक 2506 दिनांक 20.12.2024 से प्राप्त हो चुकी थी, इस कारण उक्त रात्रि चौपाल में उपस्थित नही हो सके।

अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया कि जिला कलक्टर महोदय, अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.06.2025 में उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अंकित किया है कि दूरभाष पर सूचना दी गई थी, परंतु रात्रि चौपाल में सहायक अभियंता ही उपस्थित हुए। इस संबंध में कथन किया कि अवकाश पर होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सहायक अभियंता उपस्थित हो गये थे। उपखण्ड अधिकारी महोदया द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा जनसुनवाई की रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जाती है। इस संबंध में निवेदन है कि समय समय पर पेयजल आपूर्ति से संबंधित निरीक्षण किया जाता रहा है तथा पत्रांक 106 दिनांक 23.4.2025 को उपखण्ड अधिकारी महोदया को निरीक्षण प्रपत्र प्रेषित किया गया है। अतः अपीलार्थी के स्तर पर किसी भी प्रकार से उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना नही किये जाने से जिला कलक्टर, अजमेर का दण्डादेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, प्रतिरक्षण एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन पर विचार किया तथा जिला कलक्टर अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कर्मचारी को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन व मनन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि दिनांक 08.02.2025 की आयोजित रात्रि चौपाल की सूचना किसी भी पत्र के माध्यम से उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी। उक्त सूचना के अभाव में अपीलार्थी द्वारा उक्त रात्रि चौपाल में उपस्थिति नहीं दी जा सकी। अपीलार्थी दिनांक 08.02.2025 से 09.02.2025 तक सक्षम अधिकारी से दिनांक 07.02.2025 को ही अवकाश स्वीकृत करवा कर मुख्यालय से बाहर गये थे। इस कथन की पुष्टि में अपीलार्थी द्वारा अवकाश स्वीकृति के प्रार्थना पत्र प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त अजमेर

आरोप पत्र में वर्णित दिनांक 21.12.2024 को पंचायत समिति अराई मुख्यालय पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता मे आयोजित रात्रि चौपाल में इसलिये अनुपस्थित रहे कि अपीलार्थी 21.12.2025 को उपर्जित अवकाश पर थे, तथा कार्यालय आदेश कमांक कमांक 2506 दिनांक 20.12.2024 से अवकाश स्वीकृत हो चुका था। इस कथन की पुष्टि में अपीलार्थी द्वारा इस आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की है। इस प्रकार दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना नहीं पाया गया। जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट में अंकित है कि अपीलार्थी को रात्रि चौपाल के संबंध में दूरभाष पर सूचित कर दिया गया था, जबकि अपीलार्थी ने अपने प्रत्युत्तर में अंकित किया है कि उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। इसी प्रकार जन सुनवाई के प्रकरणों में प्राप्त शिकायतों के सबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इसी प्रकार गुरूवार को होने वाली विडियों कोन्फेसिंग में भी अपीलार्थी अनुपस्थित रहे है। समग्र विवेचन के आधार पर यह पाया गया कि अपीलार्थी अवकाश पर रहने के कारण रात्रि चौपाल एवं जन सुनवाई कार्यकम में भाग नहीं ले सके। यहां हमारा यह विचार है कि अपीलार्थी को सतर्कता से कार्य करना चाहिये एवं समय–समय पर जिम्मेदार अधिकारी होने के कारण जन सुनवाई के कार्यकमों में निरंतर उपस्थित रहकर रिपोर्ट प्रेषित करनी चाहिये।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री रवि बंसल, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, किशनगढ जिला अजमेर की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को भविष्य में सतर्कता से कार्य करने की अलिखित चेतावनी दी जाकर प्रकरण समाप्त किया जाता है। तदनुसार जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 06.06.2025 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

(शक्ति सिंह राठौड़),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर